भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 256

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

महाराष्ट्र में नशामुक्ति केंद्र

256. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में नशामुक्ति केंद्रों और जिन व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है, उनकी जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में नशामुक्ति अभियान के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए जिला-वार कोई नई योजना आरंभ की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में किशोरों और युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान नशे से मुक्त हुए युवाओं की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा भविष्य में उनकी इस लत के शिकार होने की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कुल 52 नशामुक्ति केंद्रों को सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इन केंद्रों के लाभार्थियों की संख्या 28,739 है।

इनके अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के माध्यम से 5 नशामुक्ति उपचार सुविधाओं (एटीएफ) को सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इन केंद्रों के लाभार्थियों की संख्या 879 है।

इन केंद्रों का जिलावार विवरण संलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग): नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2020 को शुरू किया गया था और अब इसे देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है।

i. एनएमबीए का उद्देश्य आम जनता तक पहुंचना और नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और विद्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, नशे के आदी व्यक्तियों की पहचान कर उनसे संपर्क किया जाता है, अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में परामर्श और उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाया जाता है।

ii. इसकी शुरुआत के बाद से, देशभर में कई तरह की गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं जिनसे समाज के सभी वर्गों और हितधारकों की भागीदारी बढ़ी है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे पर संगठनात्मक भागीदारी के पुराने दृष्टिकोण में बदलाव आया है और अब सामुदायिक भागीदारी अपनाई गई है। राज्यों, जिलों और अन्य हितधारकों ने इस अभियान को अपनाया है जिससे इस अभियान को एक जनांदोलन में बदलने में मदद मिली है।

iii. अब तक, जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, 16.49 करोड़ से अधिक लोगों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति जागरूक किया गया है, जिनमें 5.51 करोड़ से अधिक युवा और 3.43 करोड़ से अधिक महिलाएँ शामिल हैं। 4.47 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुँचे।

iv. महाराष्ट्र में अब तक 4,51,620 लोगों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति जागरूक किया गया है, जिनमें 1,89,435 युवा और 99,521 महिलाएं शामिल हैं। 2,450 शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुँचे।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में युवाओं सहित कुल 47,791 लाभार्थियों का नशामुक्ति केंद्र में उपचार किया गया है।

शराब और नशीले पदार्थों की लत से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) और जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) में उपचार की अवधि के दौरान परामर्श सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। नशे से मुक्ति के बाद, नशामुक्त व्यक्तियों के घर जाकर भी परामर्श दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे भविष्य में इस लत का दोबारा शिकार न हों।

संलग्नक

"महाराष्ट्र में नशामुक्ति केंद्र" के संबंध में श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 256, जिसका उत्तर 22.07.2025 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित संलग्नक

महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा सहायता प्रदान किए जा रहे नशामुक्ति केंद्रों का जिलावार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जिले	नशामुक्ति केंद्रों की कुल संख्या
1	अहमदनगर	2
2	अकोला	2
3	अमरावती	3
4	बीड	1
5	भंडारा	2
6	बुलढाना	1
7	चंद्रपुर	2
8	धाराशिव उस्मानाबाद	1
9	धुले	3
10	गढ़चिरोली	1
11	गोंडिया	2
12	हिंगोली	1
13	जलगांव	2
14	जालना	1
15	कोल्हापुर	2
16	लातूर	3
17	नागपुर	3
18	नांदेड़	2
19	नंदुरबार	2
20	नासिक	1
21	उस्मानाबाद	1
22	पालघर	1
23	परभणी	1
24	पुणे	1
25	रायगढ़	1
26	रत्नागिरि	1
27	सांगली	1
28	सोलापुर	2
29	ठाणे	1
30	वर्धा	1
31	वाशिम	3
32	यवतमाल	1

महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जा रही नशामुक्ति उपचार सुविधाओं (एटीएफ) का जिलावार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**जिले**	**नशामुक्ति उपचार सुविधाओं (एटीएफ) की कुल संख्या**
1.	कोल्हापुर	1
2.	नागपुर	1
3.	पुणे	1
4.	ठाणे	1
5.	मुंबई	1

*****